जयराम रमेश
JAIRAM RAMESH

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110114
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110 114

दिनांकः 14 नवम्बर, 2011

प्रिय मायावतीजी

कृपया उत्तर प्रदेश राज्य में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन की अत्यन्त असंतोषजनक स्थिति के बारे में मेरे दिनांक 24.10.2011 के पत्र और उसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री दद्दू प्रसाद के दिनांक 28.10.2011 के पत्र सं0 2466/एमआरडी एवं आपके द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी को सम्बोधित दिनांक 28.10.2011 के पत्र सं0 ओ-57/सीएम-1/2011 का अवलोकन करें।

1. प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा में हो रही अनियमितताओं के विषय में मंत्रालय द्वारा लगातार राज्य सरकार को आगाह किया जाता रहा है। जनपद बलरामपुर, गोंडा और महोबा में प्रशासनिक मद की धनराशि से सामग्री क्रय में हुई अनियमितताओं के विषय में राज्य में कोई कार्यवाही न होने के बारे में केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य द्वारा लगातार सूचित किया जाता रहा है। उक्त जनपदों के अतिरिक्त और कई गंभीर मामलों में राज्य के ही एक ईमानदार एवं सत्यनिष्ठा के लिए विख्यात एसक्यूएम द्वारा जो विस्तृत जांच रिपोर्ट दी गयी है, उन पर कोई प्रभावी कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा न किये जाने पर, उनकी प्रतियों को शिकायतकर्ताओं, जागरूक एवं सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं व मीडिया के लोगों द्वारा राज्य में व्याप्त अनियमितता के विषय में मुझे उपलब्ध कराया गया है। इन रिपोर्टों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत हुई गंभीर अनियमितताओं हेतु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही न करने के उदाहरण हेतु मैं आपका ध्यान महज कुछ उन मामलों की ओर आकृष्ट करूँगा जिनमें जाँच रिपोर्टों एवं तथ्यों के आधार पर योजना की धनराशि के बड़े पैमाने पर दुरूपयोग सिद्ध होने के बाद भी एक लंबे समय से राज्य सरकार द्वारा न तो अनियमितताओं हेतु उत्तरदायी अधिकारियों को दण्डित किया जा सका है और न ही योजना के अंतर्गत धनराशि के दुरूपयोग को वसूले जाने की कोई सार्थक कार्रवाई की गयी है। यह दुखद है कि वर्ष 2007-08 में हुई अनियमितताओं एवं 3 वर्षों से अधिक समय से प्राप्त जाँच रिपोर्टों के आधार पर कोई व्यक्ति लगभग 3-4 वर्ष बीतने के बाद भी दण्डित नहीं किया गया। आपको स्मरण होगा कि अब से लगभग 19 माह पूर्व गत वर्ष दिनांक 30 मार्च, 2010 को एक प्रेस वार्ता में आपके द्वारा बड़े जोर-शोर से ये घोषणा की गयी थी कि राज्य में अनियमितता करने वालों को दण्डित किया जायेगा। **यह भी विडम्बना है कि उपरोक्त प्रेस वार्ता में की गयी घोषणा एवं जारी प्रेस विज्ञप्ति में जनपद गोंडा में हुई अनियमितता के लिए दोषी मुख्य विकास अधिकारी श्री राज बहादुर के निलंबन का उल्लेख किये जाने के बाद भी उनके निलंबन की पुष्टि कभी नहीं की गयी।**

2. ये एक दृष्टान्त अपने आप में इस बिन्दु का पर्याप्त प्रामाणिक साक्ष्य है कि राज्य में योजना के अंतर्गत कैसे भ्रष्ट अधिकारी अपनी पहुँच के बल पर अपने प्रतिकूल होने वाली किसी कार्यवाही को प्रभावित कर लेता है। पुनश्च, इस एक दृष्टान्त के अतिरिक्त यदि आप इस बारे में की जाने वाली कार्यवाही के ब्यौरे को देखेंगी तो स्वयं इस दुखद और नितांत खेदजनक स्थिति से वाकिफ होंगी कि उपरोक्त घोषणाओं के लगभग 19 माह बाद भी वरिष्ठ अधिकारी तो क्या किसी कर्मी के विरूद्ध भी राज्य सरकार कोई दण्डादेश पारित नहीं कर सकी और न ही इन मामलों में कोई धनराशि वसूल की जा सकी है।

राज्य सरकार द्वारा योजना में अनियमितताओं एवं भारी भ्रष्टाचार करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने में कोई ठोस कदम न उठाये जाने के कुछ मुख्य दृष्टान्त जनपदवार निम्न हैं :-

<u>जनपद बलरामपुर:</u>

3. इस जनपद में वर्ष 2007 एवं 2008 में कैलेण्डर, टेंट, छोलदारी, पानी की टंकी, मेडिकल किट, शिकायत पेटिका, डिसप्ले बोर्ड, कुर्सी-मेज, टिन प्लेट, आदि सामग्री की खरीद में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता की गयी। धनराशि की लूट एवं कमीशनखोरी की हद को समझने के लिए महज एक सामग्री टिन प्लेट के क्रय को देखा जाये तो स्वयं राज्य के अधिकारियों (जिलाधिकारी बलरामपुर का पत्रांक 407/मनरेगा/शि0 जाँच/रिट/2011-12, दिनांक 26 मई, 2011) द्वारा अपनी जाँच में पाया गया कि जो टिन प्लेट अधिकतम लगभग साढ़े सत्रह लाख रू. के थे उन्हें इसके चार गुना से अधिक दर अर्थात् लगभग पिचहत्तर लाख रू. में क्रय किये जाने का आदेश दिया गया था। जो केनवास शेड अधिकतम बयासी लाख रू. की लागत का होना चाहिए उसे दुगुने से अधिक दाम अर्थात् लगभग एक करोड़ सत्तासी लाख रू. में क्रय करने का प्रस्ताव किया गया। समस्त जाँच रिपोर्टों का उल्लेख न कर महज आप का ध्यान स्वयं राज्य सरकार के अधिकारी बलिराम द्वारा इस मामले में की गयी एक जाँच रिपोर्ट की ओर दिलाऊँगा जो कि राज्य सरकार को आज से दो वर्ष से अधिक समय पूर्व जुलाई, 2009 में प्राप्त हो गयी थी। उक्त जाँच के पृष्ठ 23 में जिन 11 मदों में खरीद की जाँच की गयी, उनमें लगभग 181,18602 रु0 की योजना की धनराशि की क्षति पायी गयी। इससे अधिक गम्भीर वित्तीय अनियमितता क्या होगी कि प्रशासनिक मद में धनराशि न होने के बाद भी कार्य मद से भुगतान किये गए और कुल निर्धारित प्रशासनिक मद के दुगुने से अधिक की सामग्री क्रय की गयी। महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम में व्यवस्था है कि वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एफ आई आर दर्ज की जायेगी। अगर दोषी अधिकारियों को बचाना नहीं है तो राज्य सरकार ने इस मामले में क्यों अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई? एफ आई आर दर्ज करना तो दूर, राज्य सरकार इस अनियमितता के लगभग तीन-चार वर्ष बाद और अनियमितताओं के विषय में जाँच रिपोर्ट आने के लगभग दो वर्ष बीतने के बाद भी इसके लिए मुख्य रूप से दोषी रहे अधिकारी सच्चिदानंद दुबे के विरूद्ध अब तक चार्जशीट भी नहीं दे

सकी । क्या इस प्रकार की उदासीनता को प्रभावी कार्यवाही करने की श्रेणी में रखा जा सकता है ? क्या जनपद बलरामपुर में करोड़ों रू. के दुरूपयोग के इस मामले में अभी तक राज्य सरकार ने अवैध और गलत तरीके से सामग्री क्रय की आड़ में योजना के धन का दुरूपयोग करने वाले सप्लायर्स एवं अधिकारियों से धनराशि की वसूली की कोई कार्यवाही की? क्या राज्य सरकार द्वारा लाखों करोड़ों की इस कमीशनखोरी में लिप्त अधिकारियों के आय से अधिक सम्पत्ति के अर्जित होने विषयक कोई जाँच की गयी? क्या आज तक किसी छोटे अथवा बड़े कर्मचारी को इस मामले में विभागीय कार्यवाही के आधार पर कोई दंड दिया गया? अगर इतने गंभीर मामले में प्रभावी कार्यवाही की इतिश्री कुछ अधीनस्थों को निलंबित कर पुनः बहाल कर देना भर है, तो महात्मा गाँधी नरेगा योजना के धन के गरीबों तक पहुंचने के मार्ग में ये बहुत बड़ी बाधा है, जिसे हर हाल में दूर किया जाना होगा।

<u>जनपद गोंडा:</u>

4. इस जनपद में भी बलरामपुर की ही भांति सामग्री क्रय करने में अनेक गंभीर अनियमितताओं को पाया गया। आश्चर्यजनक रूप से लगभग चालीस लाख रू. के खिलौने क्रय किये गए। राज्य सरकार की नाकामी इस से परिलक्षित होती है कि सामग्री क्रय में अनियमितता की जाँच में महज 3-4 वस्तुओं (खिलौना, टेंट व पानी की टंकी, मेडिकल किट) की खरीद प्रक्रिया की ही जाँच की जा सकी और फावड़ा, शिकायत पेटिका, कैलेंडर, आदि सामग्री के विषय में कोई जाँच नहीं की गयी। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तीन वर्षों से अधिक समय से इस जनपद में हुई सामग्री क्रय के घपले की जाँच के विषय में राज्य द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण माँगा जा रहा है, पर किन कारणों से आज तक कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गयी और कितने धन का दुरूपयोग किया गया, इसकी जाँच भी करने में राज्य सरकार असफल रही है। संयुक्त विकास आयुक्त जिसे जाँच सौंपी गयी, उसकी टिप्पणी देखें, जिसमें लिखा है कि *"जाँच हेतु समस्त पत्रावली भी मुख्य विकास अधिकारी (राज बहादुर) की मिलीभगत के कारण उपलब्ध नहीं हो रही है।"* जब अधिकारी अपने विरूद्ध जाँच को इस हद तक प्रभावित कर सकता है कि पत्रावली न दी जाये और स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी उसका निलंबन न हो सके तो सी बी आई जाँच के अलावा और क्या विकल्प बचता है। इस जनपद में राज्य न केवल मुख्य विकास अधिकारी राजबहादुर के कार्यकाल में हुए समस्त सामग्री के घपले की भलीभांति जाँच करने में असफल रहा है बल्कि जिन दो-तीन सामग्री के क्रय की जाँच कर सका, वो भी किसी प्रकार दोषी अधिकारियों और कार्मिकों को दण्डित करने में अभी तक प्रभावी नहीं हो सकी। बल्कि, जाँच की प्रक्रिया में दोषियों को दोष से अवमुक्त करने की ओर ही प्रयास जारी है। यदि राज्य सरकार तीन वर्षों में यह भी नहीं नियत कर सकी कि कौन-कौन सी सामग्री क्रय हुई और कितनी अनियमितता इसमें बरती गयी तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? क्या राज्य ने इसकी जाँच कभी की कि बाजार भाव से अत्यंत अधिक दाम पर क्रय सामग्री से किसको फायदा पहुँचा और कितनी

अवैधानिक सम्पत्ति दोषी कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा बटोरी गयी है? क्या राज्य ने इस बिंदु की जाँच की कि जो सामग्री अत्यधिक दाम पर स्वार्थ हित में समस्त वित्तीय नियमों को दर-किनार कर अत्यंत ऊँचे दामों पर खरीदी गयी वो कभी वास्तव में प्राप्त भी हुई और प्रयोग में आ सकी अथवा कार्मिकों/अधिकारियों एवं सप्लायर के गठजोड़/मिलीभगत से महज कागजों पर ही अधिकांश आपूर्ति सीमित रही। यदि राज्य सरकार ने इस जनपद में हुई प्रशासनिक मद में खरीद के विषय में उपरोक्त बिन्दुओं पर अब तक कोई कार्यवाही की है तो जरूर यह अच्छी बात होगी, पर दुखद है कि इन बिन्दुओं पर कार्यवाही की स्थिति शून्य रही है।

जनपद महोबा:

5. इस जनपद के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा भी समस्त वित्तीय नियमों को ताक पर रखते हुए अनेक सामग्रियां बलरामपुर और गोंडा की भांति क्रय की गयी। महज एक सामग्री टेंट के विषय में ही स्वयं जनपद के उपजिलाधिकारी ने अपनी जाँच रिपोर्ट में भारी अनियमितता पायी एवं राज्य द्वारा लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को अवगत कराया गया कि इस अनियमितता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले के शिकायतकर्ता द्वारा जानकारी दी गई है कि सभी अधिकारियों को दोषमुक्त कर बहाल किया जा चुका है। एक ऐसे मामले में जिसमें गंभीर अनियमितता हुई और स्वयं राज्य सरकार की जानकारी में ये था कि सामग्री आपूर्तिकर्ताओं से दोषी अधिकारियों की इस हद तक मिलीभगत थी कि जबरदस्ती पंचायतों के खाते से इसका भुगतान ऐसी फर्म को हुआ जिसका होना संदिग्ध पाया गया एवं क्रय सामग्री की खरीद में बाजार दर से अत्यधिक का भुगतान कराया गया। उस मामले में भी सरकार किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। गंभीर अनियमितताओं के मामले में कार्यवाही की औपचारिकता करने की इतिश्री का ये मामला राज्य के द्वारा भ्रष्टाचारी अधिकारियों को योजना के धन की लूट में लिप्त रहने का सन्देश देने का उदाहरण है। क्या राज्य की मुख्यमंत्री महोदया को इसका ज्ञान है कि इस सामग्री के क्रय में पहले दर 16900 रू. प्रति सेट की रख कर, जनपदीय अधिकारियों द्वारा बगैर वित्तीय नियमों के एक संस्था को आदेश दिए गए और पुनः कागजों पर निरस्तीकरण की औपचारिकता कर बगैर अपने पते पर विद्यमान फर्म अमन इंटरप्राइजेज को 19012 रु0 प्रति सेट का भुगतान जबरदस्ती पंचायतों के खाते से कर दिये जाने के दोषी अधिकारियों के जिस निलंबन की घोषणा उनके द्वारा की गयी थी, वो सभी दोषमुक्त किये जा चुके हैं? क्या इस मामले में सामग्री की आपूर्ति वास्तव में होने, इसकी गुणवत्ता अथवा इनके क्रय में हुई वित्तीय क्षति का कोई आकलन सरकार द्वारा किया गया? क्या जनपदीय अधिकारियों द्वारा किये गए अन्य सामग्री के क्रय की कोई जाँच की गयी?

6. महज वक्त बिताकर ऐसे घोटालों में लिप्त अधिकारियों को दोषमुक्त करने की सरकार की प्रवृत्ति इस योजना के भली-भांति क्रियान्वयन में अत्यंत घातक हो रही है। उपरोक्त वर्णित जनपदों में कोई प्रभावी कार्यवाही न करने का ही दुष्परिणाम है कि इस प्रकार की अनियमितता करने वालों पर सरकार कोई अंकुश नहीं लगा सकी और कई अन्य स्थलों पर भी ऐसी अनियमितताओं की शिकायतें केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्राप्त होती रही हैं। राज्य में जहाँ एक ओर प्रशासनिक मद में धनराशि के दुरूपयोग की गंभीर शिकायतों के प्रति कार्यवाही में उदासीनता रखने के कारण ऐसी अनियमितताओं को बढ़ावा मिला, वहीं दूसरी ओर योजना के फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन में जनपद कुशीनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं संत कबीर नगर में हुई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं में भी राज्य सरकार द्वारा कोई सार्थक कदम न उठाये जाने के मामले/दृष्टांत मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ।

जनपद कुशीनगरः

7. इस जनपद के विषय में अनेक शिकायतें रही हैं परन्तु योजना के धन की लूट को जानने के लिए सिर्फ एक दृष्टांत काफी होगा । इस जनपद में योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 में जिला स्तर से कुछ चुनिंदा ग्राम पंचायतों में अतिरिक्त धनराशि भेजी गयी एवं एक जिला पंचायत सदस्य श्री विजय अग्रवाल उर्फ मिट्ठू के भाई राजेश के नाम में लाखों/करोड़ों रू. के बियरर चैक जारी किए गए । मंत्रालय के स्तर से इस जनपद की जांच हेतु नियुक्त एसक्यूएम ने अपनी रिपोर्ट जो कि राज्य को कार्रवाई हेतु भेजी गयी है, उसमें लिखा है कि *" जाँच करने पर यह पाया गया कि श्री विजय अग्रवाल तथा उनके परिवार के सदस्यों के खाता संख्या 7134 तथा 110815 की पासबुक में 1,00,000 रू. से 2,00,000 रू. तक के नकद लेन-देन की एंट्री पाई गई, जबकि इसी अवधि में प्रधानों द्वारा बहुत अधिक नकद राशि निकाली गई ।"* राज्य के एसक्यूएम द्वारा *जनपद में हुई अनियमितताओं के संबंध में अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि " स्थितियां स्पष्ट व निश्चित रूप से व्यक्त करती हैं कि काफी धनराशि का आहरण हुआ है और इसके पीछे राजेश नाम से चैक जारी करना व अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चैक प्राप्त कर भुगतान व वितरण भी निहित है । अतः केवल एक विकल्प बचा है कि इस प्रकरण की इस विकास खंड में जितने ग्रामों में राजेश नाम से चैक जारी हुए हैं उनका ग्राम पंचायतों व बैंकों से विवरण लेकर प्रथम सूचना की रिपोर्ट अंकित कर सीबीसीसीआईडी/आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (पुलिस विभाग) से कराई जाए और इस संबंध में आपराधिक मामला दायर किया जाए । अन्यथा इसी प्रकार बियरर चैकों के माध्यम से धनराशि का दुरूपयोग होता रहेगा ।"* अपनी जांच रिपोर्ट में जनपद में हुई अनियमितताओं के दृष्टिगत एसक्यूएम द्वारा यह भी लिखा गया है कि *" यह सब इस निष्कर्ष के निकालने के लिए पर्याप्त है कि खण्ड विकास अधिकारी श्री चन्द्रशेखर, श्री विजय कुमार अग्रवाल उर्फ मिट्ठू अग्रवाल, श्री राजेश अग्रवाल, श्री उमेश चन्द्र राय, सचिव पंचायत, श्री रम्भन प्रसाद, प्रधान सलहन्ता देवी व उनके पुत्र संतोष राय व अन्य लोग भी मिलीभगत व आपराधिक कृत्यों में संलिप्तता के दोषी हैं। अतः राजकीय सेवकों के विरूद्ध प्रशासनिक व*

आपराधिक दोनों तरह की कार्यवाही होनी चाहिए और अन्यों के विरूद्ध भी आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए । आपराधिक कानून के अंतर्गत कार्यवाही सीवीसीआईडी अथवा पुलिस आर्थिक अपराध शाखा के उन अधिकारियों को सौंपना चाहिए जो निष्पक्ष और निर्भीक हों, जिन्हें जिला पंचायत के शीर्ष पदाधिकारी और उक्त विजय कुमार अग्रवाल उर्फ मिट्ठू अग्रवाल आदि जैसे लोग अपने प्रभाव में न ले सकें । श्री चन्द्रशेखर, खण्ड विकास अधिकारी, श्री उमेश चन्द्र राय, ग्राम पंचायत अधिकारी के विरूद्ध गंभीर दंड हेतु विभागीय कार्यवाही का भी औचित्य बनता है । "

8. यह लिखते हुए न केवल मेरा बल्कि किसी का भी हृदय दुख से भर जायेगा कि ऐसे गंभीर मामले में भी राज्य सरकार ने आपराधिक मुकदमे चलाना तो दूर, दोषी अधिकारियों का निलंबन तक नहीं किया । क्या प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में आप इस तथ्य को नकार सकते हैं कि राज्य के अधिकारियों द्वारा की गयी जाँच में पायी गयी इस गंभीर अनियमितता के दोषियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई ? किस कारण से आपराधिक मुकदमें दर्ज करने और गंभीर दंड की संस्तुतियों पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया । इस जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, खड्डा एवं अन्य कार्मिकों को क्यों नहीं निलम्बित किया गया ? योजना की धनराशि के दुरूपयोग सिद्ध होने के बाद भी इनकी सम्पतियों की जाँच क्यों नहीं कराई गयी ? ये सब परिस्थितियां स्वतः सिद्ध करती हैं कि राज्य सरकार ऐसी गंभीर वित्तीय अनियमितता में कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है । अगर राज्य सरकार इन अधिकारियों और दोषी व्यक्तियों को बचाना नहीं चाहती है तो फिर इस जनपद की सीबीआई जाँच में आपको क्या आपत्ति है ।

<u>जनपद मिर्जापुरः</u>

9. इस मंत्रालय में अनेक शिकायतें लंबे समय से इस जनपद के विकास खण्ड हालिया में योजना में हुई अनियमितताओं के संदर्भ में प्राप्त हुई, जिन्हें राज्य सरकार को कार्यवाही हेतु भेजा गया । एसक्यूएम ने इसकी जाँच लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व की । उपरोक्त जाँच में शिकायतों को सही पाया गया और क्षेत्र पंचायत द्वारा योजना के अंतर्गत व्यय किये गए लगभग 4 करोड़ रू. के कार्यों की ही जाँच में भारी अनियमितता सिद्ध पायी गयी । अपनी रिपोर्ट में जाँच अधिकारी द्वारा कहा गया *" इस विकास खण्ड के अधिकारी और कर्मचारी प्रमुख और बीडीसी अवैध और आपराधिक कार्यों में लिप्त हैं । कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र पर, खंड विकास अधिकार के हस्ताक्षर के बिना प्रमुख के हस्ताक्षर आश्चर्यजनक हैं और बंजारी कला जो प्रमुख का मूल निवास है, वहां के संजय सिंह आदि के व्यक्तियों द्वारा इस कुएं के निर्माण में फर्जी भुगतान हेतु रिपोर्ट बनाना, दबाव डालना, मारपीट करना भारी आपराधिक कृत्यों का द्योतक है । बीडीसी भी इस विकास खण्ड के उप ठेकेदार प्रतीत होते हैं और मस्टर रोलों पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं तथा अवैध धन हड़पने के लिए मारपीट कर रहे हैं। इस विकास खण्ड की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है । इस पर तत्काल अंकुश लगाने की आवश्यकता है ।"* उपरोक्त जाँच रिपोर्ट में फर्जी कोटेशन होने, अभिलेखों के फर्जी सृजन करने,

धनराशि को गलत तरीके से आहरित करने संबंधी अनेक मामले प्रामाणिक रूप से सिद्ध पाए गए । इस ब्लॉक के कार्यों में ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को अधिक भुगतान किये गए हैं जिनके विरूद्ध गंभीर आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं और जिनके द्वारा अवैध खनन, फर्जी फर्म बनाकर भुगतान लिया गया है। एसक्यूएम की रिपोर्ट में अत्यन्त विस्तार से (लगभग 120 पृष्ठों में) इस ब्लॉक में अनियमितताओं को साक्ष्यों के साथ प्रमाणित करते हुए ये संस्तुति की गई है कि *"दोषियों को निलबिंत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराकर पुलिस की विशेष शाखा से जाँच करायी जाए । "* न केवल महात्मा गांधी नरेगा योजना बल्कि स्थलीय जाँच में पाई गयी भयावहता की स्थिति स्वयं इससे व्यक्त होती है कि जाँच अधिकारी ने लिखा है *" सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि विकास खण्ड हालिया में ऐसा वातावरण है कि प्रमुख के प्रभाव वाले ग्रामों में जिले में अधिकारियों में शिकायतों की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा से जाँच कर तथ्य परक निष्कर्ष देने का साहस नहीं प्रतीत होता है। "* निश्चित रूप से इस जाँच को सम्पन्न करने वाले राज्य के अधिकारी का कृत्य प्रशंसनीय है परन्तु यह अत्यन्त दुखद है कि इतनी विस्तृत और तथ्य परक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी राज्य सरकार चिन्हित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध एफआईआर तो क्या उन्हे विगत डेढ़ वर्ष में निलंबित करने का भी कार्य नहीं कर सकी । क्या जनता को ये संतोषजनक रूप से बताया जा सकता है कि ऐसी धन की गंभीर अनियमितता के विषय में भी राज्य सरकार कुछ क्यों नहीं कर सकती ? क्यों दोषी खण्ड विकास अधिकारियों एवं कार्य की अनियमितता के लिए जाँच रिपोर्ट में चिन्हित कार्मिकों तथा फर्जी भुगतान प्राप्त करने वाली फर्मों के विरूद्ध अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गयी ? क्यों प्रथम दृष्टया योजना के धन की लूट में लिप्त अधिकारी अभी तक निलंबित नहीं किये गए ? क्यों धन की वसूली के विषय में अब तब कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि ऐसे मामले में जहाँ पूरे ब्लॉक में अराजकता और योजना के धन के करोड़ों रू. के दुरूपयोग का स्पष्ट प्रमाण होने के बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही न हो सकी है, उसे सीबीआई को सौंपने में राज्य सरकार को क्यों आपत्ति है ?

जनपद संत कबीर नगरः

10. संत कबीर नगर के ब्लॉक सांथा के विषय में अनियमितता के जो मामले जानकारी में आये हैं, वो उत्तर प्रदेश में योजना में हो रही गड़बड़ी की अत्यन्त गंभीर स्थिति को सामने लाता है कि गरीबों के लिए प्राप्त धन पर किस प्रकार स्थानीय राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बाहुबलियों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और इसमें उन्हें भ्रष्ट अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलता है । इस ब्लॉक के विषय में स्वयं जनपद के जिलाधिकारी और राज्य स्तरीय वित्तीय दल द्वारा गंभीर अनियमितताओं को स्वीकार कर विस्तृत जाँच की आवश्यकता बताई गयी, जिसके क्रम में राज्य के एसक्यूएम द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की मौके पर स्थिति की तकनीकी जाँच के साथ, अधिकारियों और दबंगों द्वारा धनराशि के हड़पे जाने की व्यापकता के भयावह चरित्र को समस्त साक्ष्यों के साथ उजागर किया गया है। स्थानीय राजनैतिक प्रभाव एवं संरक्षण में अधिकारियों के साथ धन की लूट

करने वाले गठजोड़ का सच जानने के लिए जाँच अधिकारी के समक्ष फर्जी अभिलेखों और गलत बयानी करने में लिप्त कार्मिकों/अधिकारियों/व्यक्तियों द्वारा जो बयाँ किया गया है, उसके संबंध में उक्त रिपोर्ट के निम्न अंश का उल्लेख करना यहाँ समीचीन होगाः-

" यह ध्यान देने की बात है कि गणना रिपोर्ट (कैलकुलेशन) अवर अभियंता (जूनियर इंजीनियर) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (रूरल इंजीनियरिंग सर्विस) सेवा विकास खण्ड, साँथा द्वारा बनायी गयी दर्शायी गयी है, लेकिन श्री गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, अवर अभियंता (जूनियर इंजीनियर) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ने शपथ पत्र पर बयान दिया है कि उनके हस्ताक्षर गणना रिपोर्ट पर नहीं हैं और उन्होंने गणना रिपोर्ट पर अपने जाली हस्ताक्षर को गोला मारकर अंकित भी किया है कि यह हस्ताक्षर उनके नहीं हैं । गणना के सभी पृष्ठों पर जहाँ-जहाँ उनके जाली हस्ताक्षर थे, उनको अस्वीकार करते हुए उन्होंने अंकित किया है कि उनके हस्ताक्षर नहीं है । उन्होंने शपथ पत्र पर बयान दिया है कि उनके हस्ताक्षर न होते हुए भी उन्होंने भुगतान की संस्तुति मा0 विधायक के लोगों व उनके भाई के दबाववश की । उनके बयान की पुष्टि श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ लेखा लिपिक जिन्होंने इस विकास खण्ड में नरेगा का कार्य देखा है, ने की है और शपथ पत्र पर बयान दिया है कि अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, श्री गंगा प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर भी गणना रिपोर्ट पर नहीं हैं। उन्होंने यह भी बयान दिया कि टेक्नीकल सैंक्शन सहायक अभियंता डीआरडीए श्री सुशील कुमार मिश्र ने किया है । स्थानीय जनप्रतिनिधि के भाई श्री इफ्तिखार जिन्हें मास्टर कहते हैं, ने एई, डीआरडीए से तकनीकी सैंक्शन सीधे कराया और श्री इफ्तिखार ने ही गणना रिपोर्ट पर जेई की ओर से फर्जी हस्ताक्षर किये या फर्जी हस्ताक्षर कराये । उन्होंने पुनः बयान दिया कि गणना रिपोर्ट पर जेई (आरईएस) श्री गंगा प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर नहीं हैं । कनिष्ठ लेखा लिपिक श्री विजय कुमार श्रीवास्तव ने शपथ पत्र पर यह भी बयान दिया है कि इस कार्य का भुगतान आदेश 3,06,500 रू. का पारित है, लेकिन बैंक से भुगतान नहीं हुआ । चैक पर प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं हुए । यह चिन्तनीय व भयानक स्थिति है कि दबंगों और जन प्रतिनिधियों के संबंधियों के दबाववश इस तरह का अपराध दबाववश किया जाता है और इस पर रोक लगाना आवश्यक है, और श्री इफ्तिखार या इश्तखार, निवासी खजुरी, विकास खण्ड साँथा जिन्हें मास्टर भी कहते हैं, उनके विरूद्ध प्रथम सूचना की रिपोर्ट अंकित कर अभियोजन की कार्यवाही उचित प्रतीत होती है । साथ ही साथ, सुशील कुमार मिश्र, सहायक अभियंता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को तत्काल निलंबित कर गंभीर दण्ड हेतु विभागीय कार्यवाही का औचित्य बनता है ।"

11. स्थानीय जिला प्रशासन की लाचारी और गठजोड़, जाँच अधिकारी के निम्न साक्ष्य से व्यक्त होता है:-

" ये आश्चर्यजनक है कि नरेगा लिपिक को मारपीट कर बाहरी आदमी चैक बुक छीन लेते हैं और बाहरी आदमी चैक बनाते हैं और उसपर खण्ड विकास अधिकारी हस्ताक्षर भी करते हैं । जिन व्यक्तियों-हसमत अली उर्फ कल्पू, ग्राम खजुरी, इफ्तिखार अहमद, सहायक अध्यापक ग्राम खजुरी, अब्दुल रशीद पुत्र फैयाज सहायक अध्यापक के विरूद्ध थानाध्यक्ष खेसरहा को श्री विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस आपराधिक कृत्य का प्रार्थना पत्र दिया गया है और प्रथम सूचना की रिपोर्ट भी अंकित की गयी है, उसके संबंध में पूरी जाँच करवाकर अपराधियों को दंडित कराने की कार्यवाही तो करनी चाहिए, साथ ही साथ, इतना सब होने पर भी मारपीट करने और एक बाहरी व्यक्ति श्री अब्दुल रशीद पुत्र श्री फैयाज द्वारा 2.50-2.50 लाख रू. के चैक बनाने पर भी खण्ड विकास अधिकारी साँथा द्वारा बैकडेट में हस्ताक्षर करना एक गंभीर अपराध है ।.....यह भी दुखद है कि उस समय के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसे गंभीर अपराध की जाँच करके कर्मियों को उचित सुरक्षा प्रदान कर एक स्वस्थ कार्य संस्कृति नहीं अपनाई गयी, न ही नरेगा के उचित कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन किया गया । मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भी इस मामले में ढील बरती गयी और कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी । अभी यह मामला पुलिस थाना खेसरहा के यहां विचाराधीन है । "

12. इस जनपद के विषय में राज्य सरकार को प्राप्त रिपोर्ट में स्थानीय राजनैतिक दबाव और दबंगई का जो उदाहरण है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि राज्य सरकार योजना में हो रहे धन के दुरूपयोग को रोकने के लिए यहाँ कोई प्रभावी कदम उठाएगी । यह योजना के धन के दुरूपयोग के लिए एक स्थानीय विधायक के भाई द्वारा फर्जी आवेदन के द्वारा भुगतान व्यापक रूप से किया जा रहा है और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में फर्जी भुगतान, स्थानीय विधायक के परिवार के उस भट्ठे के नाम किया जा रहा है जो नियमों में पंजीकृत नहीं है और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी तो अपनी जगह, स्वयं राज्य सरकार ऐसी लूट पर खामोश बैठी रहे, तो इसे कैसे बर्दाश्त किया जाये । क्या राज्य के एसक्यूएम द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर अब तक कोई एफआईआर दर्ज करायी गयी ? क्या धनराशि की भंयकर लूट में लिप्त अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों/ कार्मिकों को निलंबित कर दंड देने की कोई कार्यवाही हुई ? क्या धनराशि के हुए दुयपयोग को वसूलने की कोई कार्यवाही अभी तक की गयी ?

13. इस जनपद में भ्रष्टाचार की जो स्थितियाँ हैं और जिस प्रकार स्थानीय विधायक के दबाव और गठजोड़ में धन की लूट की गई है, उसे देखते हुए स्वयं राज्य सरकार को इस जनपद में हुए भ्रष्टाचार की जाँच सीबीआई में देने की पहल करनी चाहिए थी जिससे कि जनता का राज्य सरकार के भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त न करने के दावे पर विश्वास बढ़ता और अनियमितता में लिप्त अधिकारियों/व्यक्तियों पर अंकुश लगता। परन्तु, राज्य सरकार द्वारा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही न करने से सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश ध्वनित होता है कि राजनैतिक संरक्षण और गठजोड़ के हिस्सेदार हो कर, भ्रष्टाचार कर गरीबों के धन पर डाका डालने में किसी प्रकार का कानून का कोई अंकुश नहीं है।

जनपद सोनभद्रः

14. इस जनपद के विषय में राज्य के एसक्यूएम और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा की गई जांच में जो भ्रष्टाचार, योजना के धन के मामले में पाया गया है, वैसा शायद ही कहीं और होना संभव हो। सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का एक मात्र नक्सल प्रभावित जनपद है और विकास की जरूरत को देखते हुए यहां केन्द्र ने अधिकाधिक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि मुहैया कराई है, परंतु यहां के भ्रष्ट तंत्र की व्यापकता इतनी भयावह होगी, इसका अंदाजा बगैर जांच रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन किए नहीं लगाया जा सकता। ऐसा लगता है कि निजी स्वार्थ में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों में योजना के धन की बंदरबाट का प्रभाव राज्य में इस कदर हावी है कि या तो जांच करने का प्रयास नहीं किया जाता, या फिर यदि किसी सत्यनिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच कर इस भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता है तो उसकी जांच रिपोर्ट पर प्रभावी कार्यवाही करने की जगह महज विभागीय कार्यवाही आरंभ करके औपचारिक खानापूर्ति कर लूट के तंत्र को यथावत बनाए रखा जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो क्या आप स्वयं अथवा प्रदेश शासन की मुखिया मा. मुख्यमंत्री महोदया इसका कारण जनता को बता सकती हैं कि सोनभद्र के विकास खंड घोरावल की सिर्फ एक ग्राम पंचायत भटौलिया के प्रधान द्वारा इस योजना की लूट से न केवल अपनी आय में करोड़ों रू. का रिटर्न दाखिल करने के स्पष्ट प्रमाण होने के बाद भी लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक कोई दंडात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जा सकी? इस विकास खंड के ग्राम पंचायत सचिव राजेश दुबे ने योजना के करोड़ों रुपये अपनी पत्नी के नाम से बनी फर्म को भुगतान कर हड़प लिए और बेइंतहा सम्पत्ति अर्जित की है। इतने कनिष्ठ स्तर के अधिकारी के विरुद्ध भी एक वर्ष तक कोई दंडात्मक कार्रवाई तो दूर, उसे शासकीय सेवा से अलग तक नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट में सिद्ध पाया गया कि सिर्फ महात्मा गांधी नरेगा नहीं बल्कि ग्राम विकास एवं अन्य योजनाओं के विषय में भी जम कर लूट की गयी है। प्रधान जो कि करोड़पति है, ने अपने 10 से अधिक सगे संबंधियों को इंदिरा आवास योजना की धनराशि बांटी और वृद्धावस्था पेंशन बांटी, जिसमें राजेश दुबे ने सक्रिय सहयोग किया। इस ग्राम पंचायत की जांच रिपोर्ट एक बानगी है, ये समझने के लिए कि इस जनपद में किस कदर जनता के धन की लूट को बढ़ावा दिया जा रहा है।

15. जनपद में भ्रष्टाचार के विषय में जांच अधिकारी ने अत्यंत विस्तार से तकनीकी इंजीनियरों के दल के साथ स्थलीय निरीक्षण कर, रिकार्डों का सत्यापन कर और कार्मिकों, अधिकारियों व स्थानीय जनता के बयानों को लेकर पूर्णतया सहीं जांच की। परंतु अनियमितताओं को राज्य में बढ़ावा देने की प्रवृत्ति पर अंकुश का अभाव, किसी भी जांच को निष्फल कर देता है, जैसा कि सोनभद्र में हुआ है।

16. जब ग्राम पंचायत सचिव के विरुद्ध सरकार कार्यवाही न कर सकी तो अन्य वरिष्ठ कार्मिकों के विषय में क्या कहा जाए? राज्य में योजना में लूट कर धन कमाने वालों को संरक्षण के अनेक उदाहरण हैं, पर इसका स्पष्ट प्रमाण इससे अधिक क्या होगा कि इस जनपद में प्रदेश के ग्राम विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह ने स्थलीय जांच कर स्वयं जनपद के खंड विकास अधिकारी संजय पांडे को निलंबित करने का प्रस्ताव 2009 में दिया और उनकी सिफारिश के बाद भी उक्त अधिकारी को एक वर्ष तक निलंबित नहीं किया गया। क्या उक्त अधिकारी को तत्काल निलंबित न कर उसे धन की लूट करते रहने का मौका नहीं दिया गया?

17. जनपद के विकास खंड घोरावाल की जांच में पाई गई अनियमितताओं के विषय में एस क्यू एम् ने लिखा है : *"उपरोक्त मामले में वर्णित कदाचार, गंभीर आपराधिक कार्य को व्यक्त करते हैं। अतः खण्ड विकास अधिकारी राजेश यादव, सहायक लेखाकार श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, कार्य प्रभारी श्री राजेश दुबे, अवर अभियंता राकेश पाण्डेय व सहजादे खां से संबंधित राशि की वसूली के अलावा उन्हें निलंबित कर गंभीर दण्ड हेतु विभागीय कार्यवाही का समुचित औचित्य बनता है। साथ ही, प्रथम सूचना रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज कराकर अभियोजन का औचित्य बनता है। इस बिन्दु पर सक्षम स्तर पर विचार कर उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है, अन्यथा अधिनियम/ योजना का उचित कार्यान्वयन नहीं होगा और आपराधिक कृत्यों में वृद्धि होती रहेगी।"*

18. श्री राजेश यादव एवं अन्य दोषियों के विरुद्ध अभी तक कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की गई, इसका क्या संतोषजनक उत्तर जनता को दिया जा सकता है? योजना में लूट की शिकायत करने वालों को धमका कर चुप कराने एवं जांच को प्रभावित करने के विषय में भी सोनभद्र में की गयी विभिन्न जांच की रिपोर्टों में एक एस क्यू एम ने साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट किया है कि *"अधिनियम के लोकतांत्रिक प्रावधानों, कार्ययोजना एवं कार्यों के कार्यान्वयन की व्यवस्था की इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से उपेक्षा हो रही है और यदि कोई गुणवत्ता-हीन कार्य और धन के दुरुपयोग की शिकायत करता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हम लोगों द्वारा निरीक्षण के समय ऐसी एक घटना सामने आई जिसमें खण्ड विकास अधिकारी, घोरावल श्री राजेश यादव का शिकायतकर्ता के प्रति अत्यधिक दुर्व्यवहार परिलक्षित हुआ, जो किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता और जिला प्रशासन के लिए तो यह पूर्णतया जनहित के प्रतिकूल, निन्दनीय एवं दोषपूर्ण है।"*

19. सिर्फ संजय पाण्डेय या राजेश यादव जैसे खण्ड विकास अधिकारी को ही नहीं, बल्कि जनपद सोनभद्र में योजना की लूट करने वाले कई अधिकारियों, कार्मिकों और व्यक्तियों के विरुद्ध स्पष्ट साक्ष्य मिलने के बाद भी लंबे समय तक राज्य सरकार द्वारा इनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न करने के कारण जो संदेश जनता में गया है, उससे गरीबों के हितार्थ संचालित योजनाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और इसलिए इन पर अंकुश के लिए जरूरी है कि जनपद में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच हो, अन्यथा वैसा ही होता रहेगा जैसा कि एसक्यूएम ने इस जनपद के विकास खंड राबट्सगंज की जांच करते समय पाया, जो कि उन्हें दी गई धमकी के सन्दर्भ में निम्न शब्दों में है- *"एक महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत कराना है कि स्थलीय जांच/ निरीक्षण के समय क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्री कमलाकांत पाण्डेय ने जांच दल के कार्य स्थल पर पहुंचने पर धमकी भरे अंदाज में जांच दल के सदस्यों को यह कहा कि ऐसी जांच कभी नहीं हुई है । हमारे गांव में जांच के लिए कोई हिम्मत नहीं करता। हम इस जांच से स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं। हम राजनैतिक दल के कार्यकर्ता हैं, इस अपमान की शिकायत और आप लोगों की जांच लखनऊ जाकर कराएंगे। "*

20. यदि कदाचार में लिप्त व्यक्ति, जांच अधिकारी द्वारा अडिग सत्यनिष्ठा से जांच करने को प्रभावित न कर सके, तो भी राज्य सरकार ने लगभग जांच के एक वर्ष बीतने पर भी उस पर कोई प्रभावी कार्यवाही न कर उनकी स्वार्थ पूर्ति की भरपाई कर दी है। यदि ऐसा नहीं है तो क्यों राज्य सरकार अधिकारियों, कार्मिकों, धन की लूट में लिप्त फर्जी व्यक्तियों और फर्मों के विरुद्ध एक वर्ष में आपराधिक मुकदमों को दर्ज करने की कार्यवाही न कर सकी। इस जनपद में योजना के धन की लूट के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए गए- रिश्तेदारों की फर्जी फर्म बनाकर उसे करोड़ों का भुगतान, चहेते कार्मिकों को मनचाहे ढंग से अधिकाधिक कार्य का आवंटन या फिर फर्जी फर्म बना कर उसे सामग्री की मद में करोड़ों का भुगतान आदि। ये सभी तथ्य जांच में स्पष्ट होने के बाद भी न तो कार्मिकों/ अधिकारियों/ व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा शुरू किया गया और न ही उन्हें शासकीय सेवा से अलग करने में कोई इच्छाशक्ति दिखाई गयी। उदाहरण के लिए यदि ऐसा नहीं तो जांच अधिकारी की घोरावल विकास खंड की जांच में उल्लिखित इस तथ्य कि *"जहां तक कथित आपूर्तिकर्ताओं का संबंध है अपर आयुक्त वाणिज्यकार, लखनऊ श्री एस.डी. द्विवेदी से जानकारी ली गयी तो वर्ष 2008-2009 व 2009-2010 की स्थिति उपलब्ध हो पायी। क्योंकि 01.01.2008 से कम्प्यूटरीकृत पद्धति से सूचनाएं उपलब्ध हैं। उसके पूर्व की स्थिति जिला कार्यालय की फाइलों में उपलब्ध होगी। अतः निवेदन है कि उसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाए। जो सूची प्रेषित की गयी थी, उसमें क्रमांक 6-10 राजेन्द्र सिंह, अनुज कुमार सिंह, तीजा देवी, बिन्ध्यवासिनी, राजेश आयरन का पंजीकरण नहीं प्राप्त हुआ। इनके बारे में जनपद सोनभद्र में उपलब्ध व्यापार कर की फाइलों से जानकारी ली जा सकती है। यह भी अवगत कराया गया कि अनुज कुमार, राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, बिन्ध्य कन्स्ट्रक्शन वर्क कान्ट्रेक्ट अर्थात् ठेकेदारी पर कार्य करने के लिए पंजीकृत हैं। वे केवल सामग्री की आपूर्ति के लिए पंजीकृत नहीं हैं। विदित है कि मनरेगा में निर्माण के लिए ठेकेदारी अनुमन्य नहीं है। इसलिए इनसे सामग्री लेना नियम के विरुद्ध है। कमलेश कन्सट्रक्शन कंपनी गवर्नमेंट सप्लायर, बड़ागांव, शाहगंज, सोनभद्र, टिन नं.*

09915105981 जो प्रदर्शित, है वह असत्य एवं फर्जी है, क्योंकि यह टिन नं. वी.के. सिंह के नाम है। ये स्थितियां व्यक्त करती हैं कि ख्याति प्राप्त व नियमानुसार अनुमन्य व्यापारियों से सामग्री नियमों के अनुसार नहीं ली गयी। इस संबध में व्यापार कर विभाग को पूरी सूचना समुचित कार्यवाही के लिए भेज देनी चाहिए।"

21. *"किसी भी फर्म या आपूर्तिकर्ता को विकास खण्ड से चैक उपलब्ध कराने का कोई उदाहरण नहीं मिला, बल्कि सहायक लेखाकार के अनुसार, चैक कार्यप्रभारी को ही आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराने के लिए दे दिया जाता है। इससे कई संदिग्ध स्थितियां प्रकट होती हैं। यह भी संभावना है कि इन कथित आपूर्तिकर्ता के एकाउन्ट, किसी बैंक मैनेजर से सांठ-गांठ करके फर्मों के नाम से खुलवाए गए हों और इनका भुगतान भी उसकी बैंक से सांठ-गांठ करके लिया जाता हो।"*

22. *"रिकार्डों की जांच में यह भी पाया गया है कि फाइलों में संलग्न मस्टररोल में कार्य की तिथि, कार्य का नाम एवं मस्टररोल के पीछे कार्य विवरण अंकित न होने पर भी कई मस्टररोलों के अनुसार कार्य प्रभारी के मांग-पत्र के क्रम में धनराशि का चैक जारी कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कार्य की पहचान न हो व फर्जी मस्टररोलों से धन का अपहरण कर लिया जाए।"*

23. क्या जांच अधिकारी द्वारा उल्लिखित मामले में कोई सार्थक कार्यवाही हुई? ये सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि पूरे जनपद के विषय में विभिन्न जांच रिपोर्टों जो एसक्यूएम द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उसमें समस्त साक्ष्य के साथ भ्रष्टाचार और अनियमितता को अनेक स्थलों पर उजागर करती है। परंतु राज्य सरकार ने महज कुछ कारण बताओ नोटिस और कुछ विभागीय कार्यवाही आरंभ करने का आवरण बना कर दोषियों और धन की लूट करने वालों को प्रश्रय दिया जाना जारी रखा। यदि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की इच्छाशक्ति में कमी नहीं रही है तो क्या राज्य सरकार ये बताएगी कि एस क्यू एम् द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना कि *"एक आश्चर्यजनक स्थिति यह व्यक्त होती है कि जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि मुख्य विकास अधिकारी श्री के.डी राम के समय काफी गड़बड़ियां व धन का दुरुपयोग हुआ, लेकिन अब गड़बड़ियां नहीं होंगी। श्री के.डी. राम, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी के कार्यकाल में यह कदाचार और योजना के धन के दुरुपयोग के उदाहरण हैं,"* के बाद भी क्या कोई कार्यवाही राज्य सरकार ने के.डी. राम. के विरुद्ध आरंभ की? राज्य ने क्या जनपद सोनभद्र में करोड़ों रू. के घपले और लूट करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा योजना के धन से लूट से आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की जांच करने की दिशा में एक कदम भी बढ़ाया? राज्य सरकार की भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के दृष्टिगत और अत्यधिक अनियमितताओं की भंलीभांति जांच हो, दोषी दण्डित हों और उनकी अवैध सम्पत्ति जब्त हो सके, इसके लिए सीबीआई जांच के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

24. महोदया, मुझे यह बताया गया है कि राज्य ने कुछ मामले ईओडब्ल्यू को जांच हेतु सौंपने का निर्णय लिया है। इस पत्र में जो जनपद उल्लिखित हैं, उनमें भ्रष्टाचारी तंत्र के प्रति यदि राज्य ईमानदारी से कार्यवाही करना चाहता है और जनता के समक्ष ये सन्देश देना चाहता है कि राज्य सरकार योजना के धन की लूट करने वालों को बचाने के प्रति इच्छुक नहीं है, तो मेरा अनुरोध होगा कि राज्य सरकार को इन जनपदों की सीबीआई जांच करने के विषय में मेरे अनुरोध को तत्काल स्वीकार कर प्रदेश में योजना के लिए कार्य कर रहे अधिकारियों और आम जन मानस को ये सन्देश देना चाहिए कि राज्य का शीर्ष तंत्र योजना में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए वास्तव में दृढ़ संकल्पित है । इन जनपदों (बलरामपुर, गोंडा, महोबा, सोनभद्र, कुशीनगर, संत कबीर नगर एवं मिर्जापुर) में सीबीआई जांच की सहमति अपने आप में राज्य द्वारा अनियमितता में लगे हुए व्यक्तियों पर भय के एक अंकुश का कार्य करेगी कि राज्य सरकार किसी को भी भ्रष्टाचार करने पर नहीं बचाएगी। जहां तक ईओडब्ल्यू जांच का प्रश्न है, कुछ जागरूक व्यक्तियों द्वारा मेरी जानकारी में यह लाया गया है कि प्रदेश की ईओडब्ल्यू द्वारा पूर्व में ग्रामीण विकास योजना एसजीआरवाई एवं एसजीएसवाई में हुए क्रय की जांच लंबे समय से की जा रही है पर अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हो सकी है, फिर भी यदि राज्य सरकार ईओडब्ल्यू का योजना में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए प्रभावी रूप से उपयोग करना चाहती है तो अन्य कई ऐसे अनियमितता के मामले हैं, जिनमें इसे नामित करने पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कानपुर देहात के मुख्य विकास अधिकारी जसवंत सिंह द्वारा की गई बेंचों की खरीद एवं अन्य अनियमितताएं, उद्यान विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत बीज खरीद में अनियमितता, इस वर्ष जनपद सिद्धार्थनगर में पंचायतों के माध्यम से प्रशासनिक मद में सामग्री खरीद करने की अनियमितता आदि मामले, जिन पर या तो कोई कार्यवाही नहीं हुई है या फिर उन्हें बगैर समुचित दंड अथवा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही के समाप्त कर दिया गया है।

सादर,

शुभेच्छु

(जयराम रमेश)

सुश्री मायावती,
मुख्य मंत्री,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।